मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०२१

मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, २०२१

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

२. परिभाषाएं.

३. एक धर्म से अन्य धर्म में विधि विरुद्ध संपरिवर्तन का प्रतिषेध.

४. धर्म-संपरिवर्तन के विरुद्ध परिवाद.

५. धारा ३ के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दण्ड.

६. किसी व्यक्ति का धर्म-संपरिवर्तित करने के आशय के साथ किया गया विवाह अकृत तथा शून्य होगा.

७. न्यायालय की अधिकारिता.

८. उत्तराधिकार का अधिकार.

९. भरणपोषण का अधिकार.

१०. धर्म-संपरिवर्तन से पूर्व घोषणा.

११. किसी संस्था अथवा संगठन द्वारा अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दण्ड.

१२. सबूत का भार.

१३. अपराध का संज्ञेय, अजमानतीय और सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होना.

१४. अन्वेषण.

१५. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

१६. नियम बनाने की शक्ति.

१७. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २७ सन् १९६८ का निरसन तथा व्यावृत्ति.

१८. मध्यप्रदेश अध्यादेश क्रमांक १ सन् २०२१ का निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०२१

मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, २०२१

दुर्व्यपदेशन, प्रलोभन, धमकी या बल प्रयोग, असम्यक् असर, प्रपीड़न, विवाह या किसी अन्य कपटपूर्ण साधन द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन का प्रतिषेध कर धार्मिक स्वतंत्रता तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, २०२१ है.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(३) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

परिभाषाएं.

२. (१) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''प्रलोभन'' से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है, नगद अथवा वस्तु के रूप में कोई दान या परितोषण या भौतिक लाभ या रोजगार, किसी धार्मिक निकाय द्वारा संचालित विद्यालय में शिक्षा, बेहतर जीवन शैली, दैवीय प्रसाद या उसका वचन या अन्यथा के रूप में किसी प्रलोभन देने का कोई कार्य;

(ख) ''प्रपीड़न'' से अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति को किसी माध्यम से जो कुछ भी हो जिसमें मनोवैज्ञानिक दबाव या शारीरिक क्षति कारित करने वाले भौतिक बल प्रयोग या उसकी धमकी द्वारा अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने हेतु बाध्य करना;

(ग) ''धर्म संपरिवर्तन'' से अभिप्रेत है, एक धर्म को त्याग करना तथा कोई अन्य धर्म अंगीकृत कर लेना किन्तु किसी व्यक्ति का अपने पैतृक धर्म में मुड़ कर वापस आना धर्म परिवर्तन नहीं समझा जाएगा;

स्पष्टीकरण.—संपरिवर्तित व्यक्ति के पैतृक धर्म से उस व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिता का धर्म अभिप्रेत होगा.

(घ) ''बल'' में सम्मिलित है, बल-प्रदर्शन या धर्म-संपरिवर्तित करने वाले या धर्म-संपरिवर्तन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को या उसके माता पिता को या सहोदर भाई बहन को या विवाह, दत्तक ग्रहण, संरक्षकता या अभिरक्षा द्वारा संबंधित व्यक्ति को या सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की धमकी, जिसमें दैवीय अप्रसाद या सामाजिक जाति बहिष्कार की धमकी सम्मिलित है;

(ङ) ''कपटपूर्ण'' में सम्मिलित है, किसी भी प्रकार का दुर्व्यपदेशन या कोई अन्य कपटपूर्ण उपाय;

(च) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(छ) ''अप्राप्त वय'' से अभिप्रेत है, अठारह वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति;

(ज) ''धर्माचार्य'' से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है, किसी धर्म को मानने वाला कोई व्यक्ति और जो किसी धर्म के अनुष्ठान/रस्में, जिसमें शुद्धिकरण संस्कार या धर्म-संपरिवर्तन समारोह सम्मिलित

है, करता है और किसी भी नाम जैसे पुजारी, पंडित, काजी, मुल्ला, मौलवी तथा फादर से जाना जाता हो;

(झ) "असम्यक् असर" से अभिप्रेत है, ऐसे असर का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करने हेतु अन्य व्यक्ति को प्रेरित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा अपनी शक्ति का अंत:करण के विरुद्ध प्रयोग या अन्य व्यक्ति पर असर डालने से है.

(२) शब्द और अभिव्यक्तियों जिनका इस अधिनियम में उपयोग किया गया है परन्तु इसमें परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) और भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) में परिभाषित हैं अन्यथा उपबंधित के सिवाय वही अर्थ होगा जैसा कि क्रमश: उन्हें समनुदेशित किया गया है.

एक धर्म से अन्य धर्म में विधि विरुद्ध संपरिवर्तन का प्रतिषेध.

३. (१) कोई व्यक्ति,—

(क) दुर्व्यपदेशन, प्रलोभन, धमकी या बल प्रयोग, असम्यक् असर, प्रपीड़न, विवाह या किसी अन्य कपटपूर्ण साधन द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्षत: या अन्यथा संपरिवर्तित नहीं करेगा या प्रत्यक्षत: या अन्यथा संपरिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा;

(ख) ऐसे संपरिवर्तन का दुष्प्रेरण या षडयंत्र नहीं करेगा.

(२) कोई भी धर्म संपरिवर्तन, जो इस धारा के प्रावधानों के विपरीत किया गया हो, वह अकृत एवं शून्य समझा जाएगा.

धर्म संपरिवर्तन के विरुद्ध परिवाद.

४. कोई पुलिस अधिकारी उपरोक्त धारा ३ के उल्लंघन में संपरिवर्तित व्यक्ति अथवा उसके माता-पिता या सहोदर भाई या बहन या न्यायालय की अनुमति से किसी व्यक्ति जो रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण, संरक्षकता या अभिरक्षा, जो भी लागू हो, द्वारा संबंधी हो, के लिखित परिवाद के सिवाय जांच या अन्वेषण नहीं करेगा.

धारा ३ के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दण्ड.

५. जो कोई भी धारा ३ के उपबंधों का उल्लंघन करता है, कारावास से जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा परन्तु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने का भी दायी होगा जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जाएगा :

परन्तु यह कि जो कोई भी किसी अप्राप्त वय, किसी स्त्री या अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति के संबंध में धारा ३ के उपबंधों का उल्लंघन करता है कारावास से जो दो वर्ष से कम का नहीं होगा परन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने का भी दायी होगा जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि जो कोई भी, उसके द्वारा माने जाने वाले धर्म से भिन्न किसी धर्म के व्यक्ति से विवाह करना चाहता है और अपना धर्म इस प्रकार छिपाता है कि अन्य व्यक्ति जिससे वह विवाह करना चाहता है, विश्वास करता है कि उसका धर्म वास्तव में वही है जो कि उसका है, कारावास से जो तीन वर्ष से कम का नहीं होगा परन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने का भी दायी होगा जो पचास हजार रुपये से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि जो कोई सामूहिक धर्म संपरिवर्तन के संबंध में धारा ३ के उपबंधों का उल्लंघन करता है, कारावास से जो पांच वर्ष से कम का नहीं होगा परन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने का भी दायी होगा जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जाएगा:

परन्तु यह भी कि इस धारा में उल्लिखित दूसरे या उत्तरवर्ती अपराध की दशा में, कारावास पांच वर्ष से कम का नहीं होगा परन्तु दस वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने का भी दायी होगा.